

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 13, शक 1945

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक 1182-एफ-1-60-2023-एक-अड़तालीस.— मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव।

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक 212-पीएस-जीएमपी-2023.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, मंगुभाई पटेल, राज्यपाल, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य की विद्यमान विधान सभा का दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 से विघटन करता हूँ।

मंगुभाई पटेल,
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक 1183-एफ-1-60-2023-एक-अड़तालीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 212-पीएस-जीएमपी-2023, दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव।

Raj Bhavan, Bhopal, the 4th December 2023

NOTIFICATION

No- 212-PS-GMP-2023.-In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Mangubhai Patel, Governor of Madhya Pradesh, hereby, dissolve the existing Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh from 04th day of December, 2023.

(MANGUBHAI PATEL)
Governor,
Madhya Pradesh.